बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०2 / बोर्ड विविध–21 / 2010(खंड–I) पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी के लिए कुल स्वीकृत राशि 5193.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ तीरानवे करोड़) रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 के अप्रैल 2019 से जून 2019 की अवधि के लिये स्वीकृत राशि 1298.25 करोड़ (बारह सौ अंठानवे करोड़ पच्चीस लाख) रूपये के अतिरिक्त माह जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिये 432.75 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल राशि 3894.75 (तीन हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन0टी0पी0सी0 को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

विभागीय राज्यादेश संख्या–659 दिनांक–08.03.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए **"मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना"** अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए कुल 5193.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ तीरानवे करोड़) रूपये सब्सिडी स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिये 432.75 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 5193.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ तीरानवे करोड़) रूपये की स्वीकृति एवं तत्काल लेखानुदान से प्राप्त राशि से माह अप्रैल, 2019 से माह जून, 2019 तक प्रतिमाह 432.75 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की दर से कुल 1298.25 करोड़ (बारह सौ अंठानवे करोड़ पच्चीस लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन0टी0पी0सी0 को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के पूर्ण बजट तथा अनुपूरक बजट में उपबंधित होने के फलस्वरूप शेष राशि उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी के लिए कुल स्वीकृत राशि 5193.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ तीरानवे करोड़) रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 के अप्रैल 2019 से जून 2019 की अवधि के लिये स्वीकृत राशि 1298.25 करोड़ (बारह सौ अंठानवे करोड़ पच्चीस लाख) रूपये के अतिरिक्त माह जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिये 432.75 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल राशि 3894.75 (तीन हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन0टी0पी0सी0 को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त स्वीकृत राशि मांग संख्या–10, बजट मुख्य शीर्ष "2801–बिजली–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता", उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, विपत्र कोड 10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय शीर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि एन0टी0पी0सी लि0 को पूर्व की भाँति भुगतान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अलग से प्राधिकृत किया जायेगा, जिसमें 432.75 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 3894.75 (तीन हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये में से माह जुलाई 2019 के लिए यथाशीघ्र एवं माह अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक के लिए प्रत्येक माह की 05 तारीख को अथवा अवकाश की स्थिति में इसके ठीक पूर्व कार्य दिवस को राज्य सरकार के खाते को डेबिट कर एन0टी0पी0सी0 लि0 के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सी0ए0जी0 ब्रांच, 5वाँ तल, रेड फ़ोर्ट कैपिटल, पार्श्वनाथ टावर, भाई वीर सिंह मार्ग, गोले मार्केट, नई दिल्ली का खाता सं0–10813608669, IFSC Code–SBIN0017313 में क्रेडिट करने का अनुदेश होगा।

5. उपलब्ध करायी गई अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र दोनो वितरण कंपनियों द्वारा प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–175/टि0 पर दिनांक–08.03.2019 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–181/टि0 पर दिनांक–30.07.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) 2043 /पटना, दिनांक– 31/07/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/अपर महाप्रबंधक–प्रभारी (वाणिज्यिक), एन0टी0पी0सी0–लोकनायक जयप्रकाश भवन, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।